श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत

मत्स्य निदेशालय

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,
झारखण्ड सरकार

श्री बादल
माननीय मंत्री
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता
विभाग, झारखण्ड

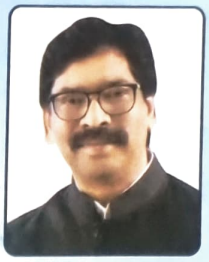

श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड

भारत सरकार के "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत् मत्स्य प्रक्षेत्र की नई योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

एतद् द्वारा राज्य के सभी मत्स्य कृषक जो मछली पालन को रोजगार के रुप में अपनाना चाहते हैं, के लिए भारत सरकार द्वारा "**आत्मनिर्भर भारत अभियान**" के तहत् नई योजना – **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** प्रारंभ की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक अभिवृद्धि, मात्स्यिकी प्रबंधन हेतु नवीनतम तकनीकी सहायता, आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाना है।

लाभुकोन्मुखी योजना में सरकारी सहायता का प्रकार

भारत सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	लाभुक का अंशदान **

** SC/ST एवं महिलाओं के लिए सहायता - इकाई लागत का कुल 60% (बड़े RAS -25%)
** अन्य कोटि के लिए सहायता - इकाई लागत की कुल 40% (बड़े RAS -20%)

इस योजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्य, विस्तृत विवरणी, इकाई लागत तथा योजना हेतु अन्य आवश्यक माप–दण्डों की विस्तृत विवरणी मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉची के वेबसाईट ***www.jharkhandfisheries.org*** पर उपलब्ध है अथवा भारत सरकार, मात्स्यिकी, पशुपालन एवं गव्य विकास मंत्रालय के वेबसाईट ***(www.dof.gov.in)*** पर ***PMMSY Guidelines*** के रूप में भी उपलब्ध है।

विशेष जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

प्रत्येक कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा तय अहर्ताओं के अनुरूप आवश्यकतानुसार भूमि एवं डी.पी.आर. लाभुकों को स्वयं के आय पर उपलब्ध कराना होगा।

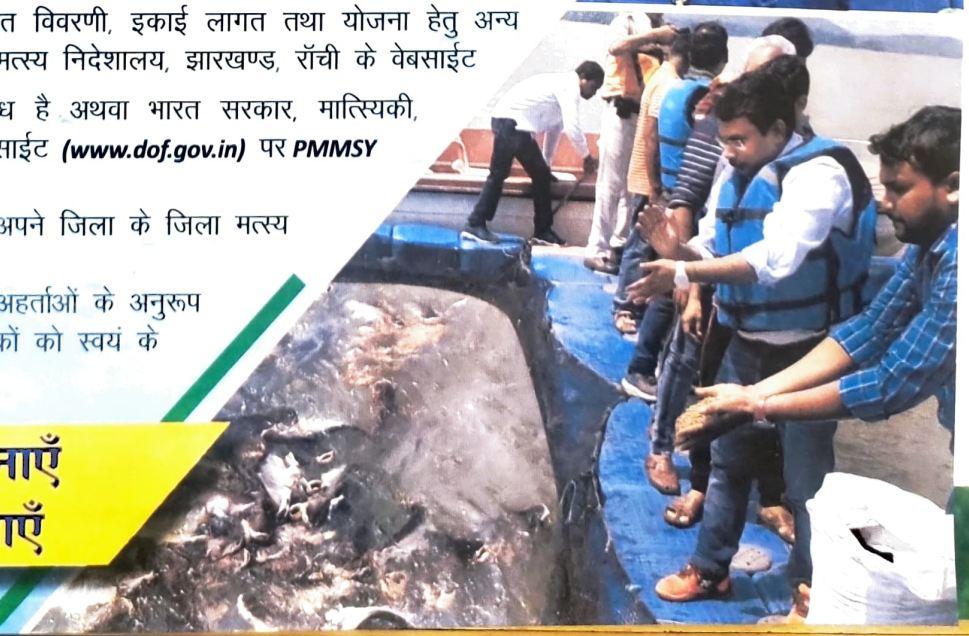

मछली पालन को अपनाएँ
रोजगार के अवसर पाएँ

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	इकाई	इकाई लागत (लाख रु० में)	सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान की राशि (लाख रु. में)	
				अनु०जाति/अनु० जनजाति/महिला (इकाई लागत का 60%)	अन्य (इकाई लागत का 40%)
43	Traditional Fishermen के लिए नाव (replacement) एवं जाल	(सं० में)	5.00	3.00	2.00
44	प्रसार एवं सहयोग सेवाएँ (मत्स्य सेवा केन्द्र)	(सं० में)	25.00	15.00	10.00
45	Bivalve cultivation (pearl culture) (भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने पर)	(सं० में)	0.20	0.12	0.08
46	आर्थिक रूप से कमजोर पारम्परिक मछुआरों हेतु मछली शिकारमाही पर प्रतिबंध के समय आर्थिक सहयोग	(सं० में)	केन्द्रांश –1500 रू० + राज्यांश– 1500 रू० + लाभुक अंशदान– 1500 रू० = 4500 रू० प्रति वर्ष		
47	मछुआरों का बीमा	(सं० में)	बीमित द्वारा कोई प्रीमियम देय नहीं		

48. प्रधानमंत्री मत्स्य सपंदा योजना के तहत **Enterpreneur Models** के विकास हेतु :

- **Enterpreneur Models** विकसित करने हेतु सरकारी सहायता (प्रति प्रोजेक्ट)
- कुल परियोजना लागत में **30%** तक आर्थिक सहायता–अधिकतम **1.50** करोड़ रू. (**SC/ST/** महिलाएँ)
- कुल परियोजना लागत में **25%** तक आर्थिक सहायता–अधिकतम **1.25** करोड़ रू. (अन्य)
- परियोजना लागत मे लाभुकों का कम से कम **10%** अंशदान भी आवश्यक है
- (बैंक ऋण की सहायता भी नियमानुसार ली जा सकती है।)

Enterpreneur Model विकसित किये जाने हेतु मॉडल उदाहरण स्वरूप :–

आवश्यक विद्युत व्यवस्था एवं जलापूर्ति के साथ तालाबों का निर्माण, आर.ए.एस. बायोफ्लॉक, मत्स्य बीज उत्पादन हेतु हैचरियों का निर्माण, फिश फीड हेतु मिल/प्लान्ट का अधिष्ठापन, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, मत्स्य प्रसंस्करण एवं परिवहन की व्यवस्था आदि समेकित रूप से किया जा सकता है।

(उपर्युक्त अंकित इकाई लागत पर इस योजना हेतु गठित समितियों अथवा भारत सरकार का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा)

निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची

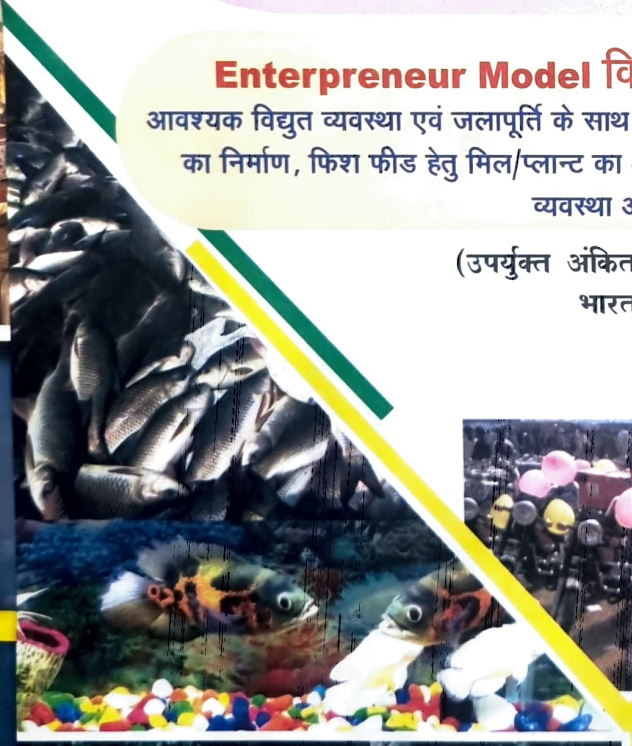

मत्स्य निदेशालय

मत्स्य भवन, डोरण्डा, राँची- 834 002 (झारखण्ड)
टेलीफैक्स : 0651-2480747, 2480437
Website : www.jharkhandfisheries.org
Email : directorfisheriesjhar@rediffmail.com, fisheriesjharkhand@gmail.com

दो गज दूरी, मास्क है जरूरी